



2026:AHC:124754

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19153 वर्ष 2026

नितिनि

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मृत्युंजय सिंह, राजीव रतन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजीव रतन और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से एजीए श्री बी.पी. सिंह की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से दायर किया गया है। इसमें आपराधिक वाद संख्या 0016/2026 (जो सिकंदरपुर वैश पुलिस थाना, जिला कासगंज में बीएनएस की धारा 108 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज है) में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; वह 3.2.2026 से जेल में बंद है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदक के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि वायरल हुआ वीडियो यौन रूप से अश्लील नहीं है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है (एक मामला), जिसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। आवेदक ने यह भरोसा भी दिलाया है कि अगर उसे रिहाई मिलती है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा। इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता की बेटी और अपनी एक वीडियो वायरल कर दी थी, जिसके कारण सदमे में आकर शिकायतकर्ता की बेटी ने आत्महत्या कर ली।

5. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, कहा जाता है कि आरोपी ने अपना और शिकायतकर्ता की लगभग 18 साल की बेटी का एक वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता की बेटी ने आत्महत्या कर ली; कथित वीडियो में कुछ भी अश्लील नहीं पाया गया है। आरोपी का एक आपराधिक अभिलेख है, जिसमें एक मामले की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।

6. मामले के सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला लगता है। इसलिए, जमानत की यह प्रार्थना-पत्र **स्वीकार की जाती है।**

7. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक- **नितिन** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का स्वीय बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक, मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू करने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहेगा।

(iv) आवेदक इस बात का शपथपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में मौजूद होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तारीखों पर कोई रोक नहीं मांगेगा।



(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने तय की गई हर तारीख पर, या तो खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए, मौजूद रहना होगा।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करने के मक़सद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

जून 2, 2026

अभिषेक